

ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ-226 001

E-mail: directord@upcl.org
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या 1789 /रेस्पो/अनुरक्षण माह

दिनांक: 11/09/2024

विषय : वितरण प्रणाली में प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु "अनुरक्षण माह-अक्टूबर /नवम्बर 2024" के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

विद्युत वितरण निगम लि०,

पूर्वांचल-वाराणसी / मध्यांचल-लखनऊ

दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ

केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि कारपोरेशन के पत्रांक 48/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 09.01.2024 के माध्यम से वितरण निगमों में Preventive Maintenance के कार्यों हेतु माह फरवरी, 2024 को "अनुरक्षण माह" के रूप में मनाते हुए वितरण क्षेत्र में अभियान के रूप में अनुरक्षण कार्य सम्पादित किये गये थे। इसके उपरान्त ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु के कारण वितरण तन्त्र में आये Stress से उत्पन्न कमियों को अभियान चला कर दूर किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2024 से 15.11.2024 तक की अवधि को "अनुरक्षण माह" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही माह सितम्बर, 2024 को अनुरक्षण माह के सफल क्रियान्वयन हेतु वितरण प्रणाली के घटकों यथा लाइनों एवं परिवर्तकों को चिन्हित कर यथा आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध एवं कार्यदायी संस्थाओं की व्यवस्था करने हेतु तैयारी माह के रूप में मनाया जायेगा। अनुरक्षण माह के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत है-

1. अनुरक्षण माह के अन्तर्गत विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए ध्यान योग्य विशेष बिन्दु :-
 - i. विद्युत लाइनों के अनुरक्षण हेतु पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रयास किया जाना वांछित है, विशेषकर पेड़ की टहनियों की कटाई/छटाई (Chopping/Lopping) के कार्य। इनको अनुरक्षण माह के साथ-साथ प्रत्येक 02-03 माह में आवश्यकतानुसार कराया जाए।
 - ii. परिवर्तकों एवं उनके प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच/परीक्षण किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रोटेक्शन सिस्टम उपलब्ध न होने की स्थिति में इनकी स्थापना सुनिश्चित की जाए।
 - iii. अधिक ट्रिपिंग के क्षेत्रों में अनुरक्षण हेतु वितरण प्रणाली के घटकों (एच०टी० एवं एल०टी० लाइन, परिवर्तक आदि) को चिन्हित कर अनुरक्षण माह की कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाए एवं तदनुसार प्राथमिकता पर इनका अनुरक्षण किया जाए। कार्य-योजना **General/Superficial** न होकर **Site Specific** हो जिसमें कि अनुरक्षण के लिए चिन्हित घटकों के स्पष्ट विवरण सहित इनके अनुरक्षण हेतु नियोजित तिथि का भी उल्लेख किया जाए।

11/09/2024

- iv. यह सुनिश्चित किया जाए कि Feeder Modem तथा AMISP द्वारा स्थापित Feeder Meters (Communicating with NFMS) क्रियाशील हों तथा उनके कनेक्शन ठीक हो जिससे कि SAIFI, SAIDI में सही डाटा परिलक्षित हो सके।
- v. कारपोरेशन स्तर से समय-समय पर वितरण प्रणाली के उपकरणों के प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित आदेश सम्मिलित हैं (प्रतिलिपि संलग्न)-

अ) पत्रांक 1801/रेस्पो/क्वालिटी सेल, दिनांक 23.06.2022

ब) पत्रांक 3100/रेस्पो/क्वालिटी सेल, दिनांक 03.11.2022

स) पत्रांक 1984-डी0एस0एम0/पॉवर कॉन्क्लेव/2022, दिनांक 14.12.2022

द) पत्रांक 2408/रेस्पो/क्वालिटी सेल/57-23, दिनांक 15.06.2023

य) पत्रांक 21/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 04.01.2024 एवं पत्रांक 30/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से उपकेन्द्रों एवं पावर परिवर्तकों तथा वितरण परिवर्तकों के निरीक्षण एवं परीक्षण सहित इनकी क्षतिग्रस्तता कम करने के परिप्रेक्ष्य में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्य-योजना में आवश्यक अनुरक्षण कार्य सम्मिलित कर दिनांक 15.11.2024 तक इन्हें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. अनुरक्षण माह अक्टूबर-नवम्बर, 2024 के अन्तर्गत कार्यवाही का विस्तृत विवरण :-

- i. अधिशासी अभियन्ता (वि0) के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी (वि0) एवं अवर अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों, वितरण परिवर्तकों तथा एच0टी0 एवं एल0टी0 लाइनों, मीटरिंग यूनिट आदि वितरण प्रणाली के घटकों का निरीक्षण कर वांछित अनुरक्षण के कार्यों को चिन्हित कर लिया जाए तथा इन कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य-योजना (वांछित केन्द्रीयकृत एवं विकेन्द्रीयकृत सामग्री की मात्रा सहित) दिनांक 01.10.2024 तक तैयार कर ली जाए। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता इस हेतु निरन्तर अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य योजना समय से तैयार कर ली जाए। इस हेतु डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/मुख्यालय स्तर पर नियुक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता (वि0)/अधीक्षण अभियन्ता (वि0)/अधिशासी अभियन्ता (वि0)) द्वारा पर्याप्त अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाएगा।
- ii. निरीक्षण के दौरान ध्यान रखे जाने वाले मुख्य बिन्दुओं तथा आवश्यक सुधार कार्यों की सूची पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक-01)। कार्य-योजना में अनुरक्षण हेतु वांछित सामग्री का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अनुरक्षण कार्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक-02)। उक्तानुसार निरीक्षण के दौरान चिन्हित ऐसे कार्य जोकि बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराए जाने हैं उन्हें भी कार्य योजना में पृथक रूप से उल्लिखित किया जाए। इस प्रकार कार्य-योजना तैयार कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (वि0)/मुख्य अभियन्ता (वि0) के माध्यम से

डिस्कॉम मुख्यालय को दिनांक 05.10.2024 तक ई-मेल पर प्रेषित किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा वितरण क्षेत्रवार उक्त विवरण दिनांक 10.10.2024 तक कारपोरेशन मुख्यालय को ई-मेल (ce.respo@uppcl.org) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- iii. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1300-कार्य/चौदह-पाकालि/2024-03-के/2000 दिनांक 10.07.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विभिन्न मदों के अन्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु क्रय कार्य की लागत के आधार पर अधिकार की सीमा तथा क्रय प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। तदनुसार अनुरक्षण माह में कराए जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्रय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। (संदर्भ हेतु केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सामग्री की समेकित सूची पत्र के साथ संलग्न है)।
3. दिनांक 14.10.2024 से 15.11.2024 की अवधि में उपरोक्त कार्य-योजना के अनुक्रम में वितरण तंत्र के अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त आवश्यक गतिविधियों का सम्पादन किया जाएगा। अनुरक्षण हेतु वांछित सामग्री/संसाधन की व्यवस्था अग्रिम रूप से कर ली जाए। अनुरक्षण माह के दौरान अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा दैनिक रूप से, अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा साप्ताहिक रूप से तथा मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा पाक्षिक रूप से अनुरक्षण कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा। अनुश्रवण के दौरान 11 के०वी० फीडर की ट्रिपिंग की भी समीक्षा की जाएगी। इस अवधि में सम्पादित अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही/गतिविधि का विवरण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वि०) द्वारा संकलित रूप में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता के माध्यम से दिनांक 20.11.2024 तक डिस्कॉम मुख्यालय को ई-मेल पर प्रेषित किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा वितरण क्षेत्रवार उक्त विवरण दिनांक 25.11.2024 तक कारपोरेशन मुख्यालय को ई-मेल (ce.respo@uppcl.org) पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. दिनांक 18.11.2024 से 25.11.2024 की अवधि में डिस्कॉम द्वारा अभियान के रूप में अनुरक्षण कार्यों का सत्यापन/निरीक्षण कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार उ०प्र०पा०का०लि० एवं उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से औद्योगिक एवं स्वतंत्र पोषकों हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष जाँच की जायेगी-
- फीडरवार वोल्टेज तथा अधिकतम भार (एम्पीयर)। अतिभारित फीडरों पर सम्पादित अनुरक्षण कार्यों की स्थिति तथा अतिभारिता के निराकरण हेतु कृत कार्यवाही।
 - फीडरवार विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा ट्रिपिंग की स्थिति का निम्नानुसार विश्लेषण किया जाएगा-

No. of Trippings			Duration of Trippings		
Shutdown	Breakdown	Total	Shutdown	Breakdown	Total

नोट- उक्त ट्रिपिंग की स्थिति का दिनांक 01.10.2024 के ट्रिपिंग के आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए।

- अधिकतम विद्युत व्यवधान वाले फीडरों पर सम्पादित अनुरक्षण कार्यों की स्थिति।
- आपूर्ति सम्बन्धी शिकायत रजिस्टर के अनुसार शिकायतों का निस्तारण।


11/11/2024

- v. टेस्टिंग रजिस्टर के अनुसार उपकेन्द्र के टेस्टिंग में प्राप्त प्रतिकूल परिणामों के सापेक्ष कृत कार्यवाही।
5. डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर उपरोक्त बिन्दुओं तथा प्रारूप-‘क’ एवं ‘ख’ (संलग्न) के अनुसार वितरण प्रणाली के निरीक्षण की व्यवस्था निम्नवत होगी -

- i. प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) तथा निदेशक (तकनीकी) द्वारा सम्बन्धित वितरण निगम के अन्तर्गत न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण। उक्त निरीक्षण हेतु ऐसे उपकेन्द्रों का चयन किया जाएगा जिनमें ग्रीष्मकाल-2024 में सर्वाधिक समस्या हुई हो। यह अपेक्षित है कि बिजनेस प्लान में अतिभारिता वाले उपकेन्द्रों/परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि हेतु प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (तकनीकी) द्वारा परिवर्तकों के Delivery Schedule के आधार पर Priority List बना दी गयी होगी।
- ii. विद्युत वितरण निगम स्तर पर नियुक्त अन्य सभी निदेशक (वाणिज्य/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) एवं डिस्कॉम मुख्यालय पर नियुक्त तकनीकी अधिकारियों (समस्त मुख्य अभि0/अधीक्षण अभि0/अधिशासी अभि0/सहायक अभि0) द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम के अन्तर्गत दो वितरण क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रति-वितरण क्षेत्र न्यूनतम तीन-तीन, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण (प्रत्येक अधिकारी द्वारा कुल 06 उपकेन्द्रों का निरीक्षण)।

इस हेतु प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) द्वारा निदेशक (डिस्कॉम) व अन्य अधिकारियों को उक्तानुसार निरीक्षण के लिए वितरण क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे।


- iii. मुख्य अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (समस्त मण्डलों को अच्छादित करते हुए) का निरीक्षण।
- iv. अधीक्षण अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित वितरण मण्डल के अन्तर्गत कुल 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (समस्त खण्डों को अच्छादित करते हुए) का निरीक्षण किया जाएगा।
- v. अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित खण्ड के अन्तर्गत समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण। उपखण्ड अधिकारी (वि0) द्वारा अपने अधीन समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा 100 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता के समस्त वितरण परिवर्तकों का निरीक्षण। अवर अभियन्ता (वि0) द्वारा अपने अधीन समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा वितरण परिवर्तकों का निरीक्षण।

नोट:- उपरोक्त बिन्दु सं0- 05 (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार निरीक्षण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐसे क्षेत्रों/स्थलों का चयन किया जाए जिनमें ग्रीष्मकाल-2024 में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षाकृत अधिक व्यवधान उत्पन्न हुए। निरीक्षण कार्य का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि एक ही 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के एक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों (अधीक्षण अभि0/मुख्य अभि0/निदेशक/प्रबन्ध निदेशक) द्वारा निरीक्षण की स्थिति सामान्यतः उत्पन्न न हो। अभियान के दौरान किए गए अनुरक्षण कार्यों की जाँच हेतु प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) द्वारा मुख्यालय स्तर के अधिकारियों तथा मुख्य अभियन्ता (वि0) द्वारा स्वयं किए जाने वाले निरीक्षण हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की सूची

दिनांक 16.11.2024 को ही (उससे पूर्व नहीं) जारी की जाएगी। उक्त सूची की प्रति अध्यक्ष महोदय, उ०प्र०पा०का०लि० तथा अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जाएगी।

6. अनुरक्षण कार्य हेतु शटडाउन योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार लिया जाए कि आपूर्ति सम्बन्धित Reliability Index (SAIFI & SAIDI) प्रभावित न हो। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-719 (A) /मु०अ०/सी०एम०यू०(डी०)/ईई-1/विद्युत आपूर्ति दिनांक 27.03.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से 33 के०वी० एवं 11 के०वी० शटडाउन के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन किया जाए। **अनुरक्षण माह की अवधि में पड़ने वाले दीपावली पर्व पर अनुरक्षण माह से सम्बन्धित कार्यों हेतु शटडाउन न लिया जाए।** अनुरक्षण माह के उपरान्त उक्त Reliability Index (SAIFI & SAIDI) में पूर्व की अपेक्षा सुधार परिलक्षित होना वांछित है तथा इनके खराब होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
7. अनुरक्षण माह अक्टूबर-नवम्बर, 2024 के उपरान्त शीतकाल में विद्युत मांग में वृद्धि के दृष्टिगत आवश्यक है कि अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों का गम्भीरतापूर्वक सम्पादन क्षेत्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
8. कृपया उक्त का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

11/11/24
(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, 7वां तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल- आगरा/पश्चिमांचल- मेरठ/केस्को-कानपुर।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल- आगरा/पश्चिमांचल- मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल- आगरा/पश्चिमांचल- मेरठ/केस्को-कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता(भण्डार/सामग्री प्रबन्धन), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल- आगरा/पश्चिमांचल- मेरठ।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल- आगरा/पश्चिमांचल- मेरठ/केस्को-कानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (भण्डार/भण्डार कय), केस्को-कानपुर।

विद्युत वितरण प्रणाली में अनुरक्षण सम्बन्धी प्रमुख गतिविधियों की सूची

- I. 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का सघन निरीक्षण कर स्विचयार्ड में स्थापित विभिन्न उपकरणों, पावर परिवर्तक तथा कण्ट्रोल रूम के उपकरणों की जांच करना तथा कमियों का निराकरण कराया जाना।
- II. 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के स्विचयार्ड में-
 - 33 के0वी0 इनकमिंग लाईन के लाइटनिंग अरेस्टर्स तथा उनके स्ट्रक्चर एवं अर्थिंग की जांच कर क्षतिग्रस्त पाए जाने पर ठीक कराया जाना।
 - आईसोलेटर के Jaws/Blades सहित इनकी कार्यशीलता की जांच एवं तदनुसार आवश्यक मरम्मत/प्रतिस्थापन कराया जाना।
 - अर्थिंग पिट्स में प्रतिरोध की जांच कर ठीक कराया जाना।
 - Bus Bar एवं Lugs/ Clamps/ Connections की जांच करना तथा Hot Spots/Abnormal Sound/Vibration पाए जाने पर तत्काल निराकरण कराया जाना।
 - Loose Jumpers को tight करना।
 - स्विचयार्ड में सामान्य साफ-सफाई सुनिश्चित करना तथा घास/ज्वलनशील पदार्थ पाए जाने पर तत्काल हटाया जाना।
 - पेल फेन्सिंग/बाउण्ड्री/गेट क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मरम्मत कार्य कराया जाना।
- III. 33/11 के0वी0 पावर परिवर्तक हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करना -
 - परिवर्तक की भारिता की जांच करना तथा अतिभारिता होने पर आवश्यक कार्यवाही (भार स्थानान्तरित, क्षमतावृद्धि आदि) कराया जाना।
 - परिवर्तक तेल के स्तर की जांच (atleast 50% in Conservator Tank) तथा आवश्यकतानुसार ऑयल फिलिंग कराना। परिवर्तक से तेल रिसाव की जांच कर रिसाव पाए जाने पर सीलिंग आदि के माध्यम से निराकरण कराना।
 - Insulation Resistance (HV to LV, HV & LV to Earth) की जांच करना एवं मानक से कम पाए जाने पर तदनुसार दोष का निराकरण करना।
 - परिवर्तक तेल तथा वाइन्डिंग के तापमान की जांच एवं Overheating पाए जाने पर निराकरण कराया जाना।
 - Breather में Silica gel तथा Seal में तेल की जांच करना तथा अनुपयुक्त पाए जाने पर आवश्यकतानुसार बदलने की कार्यवाही करना।
 - Bushings में Cracks तथा Arcing Horn के गैप सहित लाइटनिंग अरेस्टर्स की भी जांच करना एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत/प्रतिस्थापन करना।
 - परिवर्तक बॉडी एवं न्यूट्रल हेतु पृथक-पृथक अर्थिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अर्थिंग में प्रतिरोध की भी जांच करना (प्रतिरोध 01 ohm से कम होना चाहिए) तथा आवश्यक सुधार कार्य कराना।

- Buchholz relay में ट्रिपिंग एवं अलार्म की जांच तथा समुचित कार्यशीलता न पाए जाने पर निराकरण कराया जाना।
 - Explosion vent diaphragm में Cracks/leakages की जांच तथा आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कार्य कराना।
 - Cable Jointing kit एवं अन्य Joints/Connections की Tightness की जांच करना तथा Hot Spots पाए जाने पर तत्काल निराकरण कराया जाना।
 - यदि वर्तमान वर्ष में परिवर्तक तेल की बी०डी०वी० की जांच अद्यतन एक बार भी न करायी गयी हो तो सैम्पल लेकर बी०डी०वी० का परीक्षण कराया जाना। बी०डी०वी० मानक से कम पाए जाने पर तेल शोधन/परिवर्तन की कार्यवाही कराना।
- IV. 33/11 उपकेन्द्र में वी०सी०बी० की कार्यशीलता का परीक्षण, Tripping/Closing की जांच, Relay एवं Control Panel की जांच, कैपेसिटर बैंक (यदि उपलब्ध) की कार्यशीलता की जांच तथा अकार्यशील पाए जाने पर आवश्यक अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराया जाना।
- V. Control Room में Battery के विभव सहित Specific Gravity/ water level तथा Battery Charger की जांच कर समुचित कार्यशीलता सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त Control Room में केबिल ट्रेंच बालू से भरी न होने पर तदनुसार बालू भराया जाना। Fire Extinguisher को आवश्यकतानुसार Refill कराया जाना।
- VI. विद्युत वितरण परिवर्तकों हेतु—
- भारिता तथा लोड बैलेन्सिंग की जांच (विशेषकर गत ग्रीष्म ऋतु में अधिक क्षतिग्रस्तता वाले परिवर्तकों हेतु) कराते हुए अतिभारिता अथवा अनबैलेन्सिंग पाए जाने पर परिवर्तक से निर्गत होने वाले सर्किट्स एवं संयोजनों की जांच करना तथा उक्त स्थितियों का निराकरण कराया जाना।
 - परिवर्तक से तेल रिसाव की जांच तथा रिसाव पाए जाने पर सीलिंग आदि के माध्यम से रिसाव रोकने हेतु कार्यवाही करना।
 - परिवर्तक में आवश्यकतानुसार टॉप-अप कराया जाना।
 - परिवर्तक की अर्थिंग की जांच कर ठीक कराया जाना।
 - Bushing Connectors को tight करना।
 - Breather/Silica gel की जांच तथा आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन।
 - उचित क्षमता के Fuse की स्थापना सुनिश्चित करना।
 - Vegetation Clearance एवं परिवर्तक के आस-पास साफ-सफाई कराया जाना।
- VII. विद्युत लाइन हेतु —
- Tree Clearance (लाइन पर आने वाली वृक्षों की छटाई कराना)।
 - क्षतिग्रस्त इन्सुलेटर को बदलना।
 - लाइन में विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनम दूरी सुनिश्चित कराना। ढीले स्पैन/स्टे टाइट करना।
 - Loose Jumpers को tight करना/पी०जी० क्लैम्प के माध्यम से बदलना।

- विद्युत लाइन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति की जाँच करना तथा जर्जर तार होने पर प्रतिस्थापित किया जाना।
- विद्युत लाइन में खम्भे टेढ़े अथवा जंगयुक्त (स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) हो तो उसे ठीक कराया जाये।
- रोड क्रॉसिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रॉसिंग पर गार्डिंग की समुचित स्थापना सुनिश्चित कराना।
- लाइन क्रॉसिंग पर दोनों लाइनों के मध्य क्लियरन्स की जाँच करना तथा लाइन क्रॉसिंग पर गार्डिंग की समुचित स्थापना सुनिश्चित कराना।
- लाइन के समस्त एंगिल पोलों एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत चेक कराना/टाइट कराना।
- समस्त 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की समुचित ट्रिपिंग सुनिश्चित कराना।
- समस्त केबिलों के अर्थिंग स्ट्रिप के कसाव को चेक करना एवं तदनुसार बदलना।

VIII. विद्युत तंत्र पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक विद्युत कर्मी के पास समस्त विद्युत सुरक्षा उपकरण यथा सेफ्टी बेल्ट, अर्थिंग चैन, हैण्ड-ग्लव्स, हेलमेट इत्यादि की उपलब्धता तथा इनका उचित प्रयोग सुनिश्चित कराना।

(उपरोक्त सूची सांकेतिक रूप से सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करायी गयी है। वितरण क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समस्त अनुरक्षण के कार्यों को भी उपरोक्त सूची में सम्मिलित कर तदनुसार कार्यवाही करायी जानी है।)

Reference list of items for Preventive Maintenance

Sr. No.	Items
1	Aluminium binding wire (5 & 6 mm dia)
2	LT clamp with nuts & bolts of PCC Pole with neutral
3	LT Shackle insulator
4	Bolts & Nuts for Shackel
5	Neutral cum earth wire GI Wire 7.16 mm or 6 SWG
6	Aluminium jointing sleeve for AAAC conductor Weasel/Rabbit
7	Aluminium jointing sleeve for ACSR conductor Weasel/Rabbit
8	Spacer LT PVC
9	LT PVC Cable 3.5x70/35 sq mm
10	LT PVC Cable 3.5x150/70 sq mm
11	11 kV & 33 kV cable jointing kit (indoor/outdoor/straight through)
12	33 kV & 11 kV insulators (Pin,Post,Disc)
13	ALLUMINIUM LUG BOLTED TYPE
14	ALLUMINIUM CRIMPING LUG
15	Al. PG clamps Weasel to Weasel
16	Al. PG clamps Dog to Dog
17	ACSR Weasel Conductor
18	ACSR Dog Conductor
19	A.B.C. 3x50 Sqmm
20	A.B.C. 3x95 Sqmm
21	A.B.C. 3x120 Sqmm
22	A.B.C. 1x16+1x25 Sqmm
23	Suspension Clamp for AB Cable
24	33 kV & 11 kV Lightning Arrester
25	Transformer Oil
26	33 KV DO Fuse Set
27	LT Distribution Box 1-Phase
28	LT Distribution Box 3-Phase

Reference list of items for Preventive Maintenance

Sr. No.	Items
29	11 KV Jaw & Blade Of Copper Strip Suitable 11 KV TPMO
30	TINNED COPPER FUSE WIRE
31	Control Cable
32	Terminal & Connector
33	11 kV & 33 kV C.T-PT Unit (Outdoor)
34	33 KV CT 200/100/1-1A
35	11 KV CT 200/100/5 A, 300/150/5 A , 400/200/5 A , 600/300/5 A
36	Vacuum Interrupter 11 KV
37	Spare parts of VCB/OCB i.e. tripping/closing coil, charging spring male-female contacts, interrupter etc.
38	Protection Relay
39	Silica Gel
40	PVC Adhesive Tape

**The above list is for reference purpose only. Actual items required for maintenance work shall be listed and arranged as per the pre-inspection/survey conducted in the month of September 2023 by JE/SDO as included under the activities decided for 'Maintenance Month'*

Format for Inspection of 33/11 kV Substation

Name of Distribution Division-
 Name of Distribution Sub-Division-
 Name of 33/11 kV Substation -
 Capacity of 33/11 kV Substation (MVA) -
 Name & Designation of Inspecting Officer -
 Date of Inspection-

Switchyard & Control Room

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy if found any
A	Switchyard		
1	Bus Bar		
2	Joints, Jumpers, Connectors & Clamps		
3	Fuse Set		
4	Lightning Arrestor		
5	Earthing		
6	Pale Fencing/Boundary/Gate		
7	Grass, Creeper on structures & General Cleanliness		
8	Bucket filled with sand		
B	Control Room		
1	Battery		
2	Battery Charger		
3	Sand in cable trench		
4	Availability of Sand filled buckets		
5	Fire Extinguisher		
6	Leakage of water from roof		
7	Exhaust fan & Lighting		
8	Cleanliness		
9	Availability of Hydrometer		
10	Self Sticking Stickers for Shutdown (as per letter no. 2843/RESSPO/Quality Cell dated 17.07.2023)		
C	Power Transformer wise Working condition of 11kV Capacitor Bank/ APFC		
1	Capacity in MVAR		
2	Date of Installation		
3	Functional (Yes/No)		
4	Warranty status if not functional		
5	AMC Status		

D Training & Orientation (To be filled for the staff of the substation)					
D (1) General & Technical awareness of JE & SSO					
S. No.	Points	Having knowledge			
		All	Most	Some	Very less/ None
1	knowledge of Daily check points of different equipment installed at substation				
2	Knowledge of recording different electrical parameters (Energy, Current, Voltage, Oil & Winding temperature, knowledge of MF, specific gravity of battery water etc.)				
3	Knowledge of protection relay settings				
4	Operational sequence of switchgears for providing shut down and for charging of line after returning shutdown				
5	Knowledge of function of buchholz relay				
6	Knowledge of using fire extinguishers				
7	What to do and not to do in case of electrical fire				
8	How to check hot points in switchyard by visualization				
9	Working of Current transformer (CT) and Potential transformer (PT)				
10	Knowledge of different type of registers to be maintained at sub-stations				
11	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed power transformer				
12	Maximum & Minimum load on power transformers and 11 kV feeders during the year				
13	Knowledge of using different testing & measuring instrument like Multimeter, Megger, Earth resistance tester etc.				
14	Knowledge of different conductors and AB cables of various sizes and their maximum current carrying capacity				
15	Knowledge of rated current of power transformers and distribution transformers of different capacities				
16	No. of consumers (Category wise) in the area				
D (2) General & Technical awareness of Lineman					
S. No.	Points	Having knowledge			
		All	Most	Some	Very less/ None
1	No. of consumers (Category wise) in the area				
2	List of defaulter consumers				
3	Name and sanctioned load of industrial consumers in the area				
4	No. of installed Distribution Transformers (Capacity wise)				
5	List of Distribution transformers damaging frequently on same plinth and remedies required or done to avoid the same				
6	Knowledge of load balancing of distribution transformers				
7	Knowledge of rated current of distribution transformers of different capacities				
8	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed distribution transformer (HT & LT side both)				
9	Knowledge of using Multimeter/Clamp meter				
10	Procedure of taking shutdown and returning the same				
11	Knowledge of length and route of associated 11 kV & LT lines, crossings of HT over HT and HT over LT				
12	Knowledge of safety precautions to be taken while working on lines				

Format for Inspection of 33/11 kV Power Transformer

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
E	Power Transformer No.-		
	Capacity (MVA)-		
	Make of Transformer-		
	Date of Installation-		
	Date of repairing (if repaired)-		
1	Oil Level in Conservator Tank		
2	Overheating (red hots) at terminal connections		
3	Tightness of Clamp connections, joints		
4	Abnormal Noise & Vibration		
5	Insulation Resistance of Power Transformer (HV to LV, HV & LV to Earth after disconnecting neutral)		
6	Lightning Arrestors of Power Transformer		
7	Oil leakage from Transformer Body & Radiator		
8	Buchholz Relay (Alarm & Trip contacts)		
9	Bushings (HV/LV) for cleanliness and cracks		
10	Condition of transformer body earthing (at 02 different points)		
11	Condition of neutral earthing (separate from body earthing)		
12	Breather-Silica Gel Color & Oil in the Seal		
13	Oil Temperature		
14	Winding Temperature		
15	Transformer Loading		
16	PRV/Explosion Vent Diaphragm (cracks,leakages etc.)		
17	Arcing Horn		
18	Last date & results of transformer oil testing for BDV		
19	Cable Jointing kit at HT side		
20	Condition of cooling fans (if applicable)		

Format for Inspection of 33 KV & 11 KV Switchgear

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
F	11 kV Switchgear Name -		
1	Tripping		
2	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		
3	Metering (last date of testing by check meter & its results)		
4	11 kV Cable as per load on Incoming & Outgoing		
5	Indoor & Outdoor Cable box condition		
6	11 kV CT as per load on Incoming & Outgoing		
G	33 kV Switchgear & Control Panel Of T/F No-		
1	33 kV Isolator (Jaws, operating mechanism etc.)		
2	Operating Condition of VCB		
3	Condition of Control Panel		
4	Local/Remote Closing & Tripping		
5	Auto/Manual Tripping		
6	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		

Significant events if any		
S. No.	Detail of events	Date of occurrence
1		
2		
3		

Previous inspection details		
Date of inspection:		
Name of Officer:		
Designation:		
S. No.	Major shortcomings found in previous inspection	ATR
1		
2		
3		

Joint inspection with EE Transmission & EE (Test)
Date of last Relay synchronization:

Inspected By-

Signature:

Name:

Designation:

Date of inspection:

Format for Inspection of Distribution Transformer

Name of Distribution Division-

Name of Distribution Sub-Division-

Name of Concerned 33/11 kV Substation -

Capacity of Concerned 33/11 kV Substation -

Name of 11 kV Feeder-

Detail of Distribution Transformer Checked (Location & Capacity) -

Date of Inspection-

S.No.	Particulars	If found OK then mark-✓	Mention Discrepancy found (if any)
1	Foundation/Plinth/M.S. Channel Condition		
2	Earthing (Body, Neutral & LA)		
3	Oil leakages (body, conservator, gaskets)		
4	Oil level of Conservator (if available)		
5	DO Fuse Set (HT)		
6	Bushings (HT & LT)		
7	Breather-Silica Gel Color & Oil in the Seal		
8	Vent pipe diaphragm		
9	Terminals & tightness of connections (connection through lugs)		
10	Lightning Arrestor		
11	Loading (<i>mention load in Amp.</i>)		
12	Insulation Resistance		
13	Safe access to DTR		
14	Vegetation Clearance		
15	MCCB/Fuse set on LT side		
16	Load Balancing of DTR		

Inspected By-

Name:

Designation:

Date of inspection:

(Signature)

Centralized Material

S.No.	ITEM NAME AND SPECIFICATION
1	LT XLPE Cable AL. 3.5X70 sq.mm
2	LT XLPE Cable AL. 3.5X150 sq.mm
3	LT XLPE Cable AL. 3.5X240 sq.mm
4	LT XLPE Cable AL. 3.5X400 sq.mm
5	LT XLPE Cable AL. 1X240 sq.mm
6	LT XLPE Cable AL. 1X400 sq.mm
7	LT XLPE Cable AL. 1X630 sq.mm
8	LT XLPE Cable AL. 1X1000 sq.mm
9	Cable AL. 3X70 sq.mm XLPE 11KV
10	Cable AL. 3X120 sq.mm XLPE 11KV
11	Cable AL. 3X185 sq.mm XLPE 11KV
12	Cable AL. 3X300 sq.mm XLPE 11KV
13	Cable AL. 3X120 sq.mm XLPE 33KV
14	Cable AL. 3X300 sq.mm XLPE 33Kv
15	Cable LT ABC (1X16 + 1X25) sq.mm
16	Cable LT ABC (3X50+1X35+1X16) sq.mm
17	Cable LT ABC (3X95+1X70+1X16) sq.mm
18	Cable LT ABC (3X120+1X95+1X16) sq.mm
19	PCC Pole 8.5 Mtr.
20	PCC Pole 9.0 Mtr.
21	STP 9.0 M -IS 410 SP-33
22	STP 11M-IS 410 SP-55
23	STP SP-70, 13 Mtr.
24	Disc Insulator, (T&C TYPE)-45KN 11KV
25	Disc Insulator (B&S TYPE)-70 KN 33KV
26	Polymeric Disc Insulator 45 KN (T&C Type)
27	Polymeric Disc Insulator 70 KN (B&S Type)
28	Disc Fitting 45 KN (T&C TYPE)
29	Disc Fitting 70 KN (B&S TYPE)
30	Pin Insulator 11KV
31	Pin Insulator 33KV
32	Polymeric 11 KV Pin Insulator
33	Polymeric 33 KV Pin Insulator
34	11 KV Pin with Net
35	33 KV Pin with Net
36	11 KV V Type Steel Cross Arm
37	33 KV V Type Steel Cross Arm
38	ACSR Weasel Conductor
39	ACSR Rabbit Conductor
40	ACSR Raccon Conductor
41	ACSR Dog Conductor
42	Stay Wire (3.15 MM,) 7/10 SWG (GSS Wire)
43	Stay Wire (4.0 MM,) 7/8 SWG (GSS Wire)
44	G.I. Wire 3.15 MM 10 SWG
45	G.I. Wire 4MM 8 SWG
46	G.I. Wire 5 MM 6 SWG

Centralized Material

S.No.	ITEM NAME AND SPECIFICATION
47	Stay Set 16x1800 mm
48	M.S. Earthing rod (2540x20 mm)
49	Electronic KWH Meter 1PX2W 5-20/10-60A.
50	Electronic KWH Meter 3PX4W"10-60A.
51	Electronic TVM LT (CT Connected) (Meter only)
52	3PX4W ,LT TVM, 3X240V, 40-200A , Direct Connected with LPR
53	Electronic TVM 11KV
54	Electronic TVM 33KV
55	11KV Pilfer Resistant Metering Cubicle without Cable Termination Kit
56	33KV Pilfer Resistant Metering Cubicle without Cable Termination Kit
57	11 KV CT/PT Metering Pole Mounted Unit
58	33 KV CT/PT Metering Pole Mounted Unit
59	11KV VCB , I/C CTR 600/300/5A, 350MVA,
60	11KV VCB For O/G CTR 200/100/5A. 350MVA
61	Line Isolator 800 A., 33KV
62	Bus Isolator 800A. 33KV
63	Lightening Arrestor 33 KV
64	Fuse Set 33 KV
65	33 KV CT, 200/100/1-1-1A.
66	33 KV CT, 400/200/1-1-1A.
67	33 KV VCB 800A, 750 MVA
68	T/F Single Phase.11/2.5 KV 10 KVA
69	T/F 11/0.4KV, 25KVA Three Star Rating
70	T/F 11/0.4KV, 63KVA
71	T/F 0.4KV,100KVA
72	T/F 11/0.4KV, 250KVA
73	T/F 11/0.4KV,400KVA
74	T/F 11/0.4KV, 630KVA
75	T/F 33/11 KV, 5 MVA
76	T/F 33/11KV, 10 MVA
77	Transformer Oil Fresh
78	LT PVC UA ALU, Cable 4x25 sq mm
79	33 KV Post Insulator
80	11 KV Cable Jointing Kit (3x70 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
81	11 KV Cable Jointing Kit (3x120 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
82	11 KV Cable Jointing Kit (3x185 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
83	11 KV Cable Jointing Kit (3x240 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through

Centralized Material

S.No.	ITEM NAME AND SPECIFICATION
84	11 KV Cable Jointing Kit (3x300 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
85	33 KV Cable Jointing Kit (3x50 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
86	33 KV Cable Jointing Kit (3x70 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
87	33 KV Cable Jointing Kit (3x120 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
88	33 KV Cable Jointing Kit (3x185 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
89	33 KV Cable Jointing Kit (3x240 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
90	33 KV Cable Jointing Kit (3x300 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
91	33KV Single Transformer Control Panel
92	11KV TPMO with Polymer Insulator
93	3-Phase D.O. Fuse Set
94	33KV Disc Fitting 70KN
95	33 KV G.I. Stay Set 20X1800
96	LT XLPE Cable 1X120 sq. Mm
97	16 KVA Al. Wound Tfs.
98	3 Phase 4 Wire (10-60 Amp.) Meter with LPR
99	3 Phase (5-30 Amp) Meter with Meter Box
100	LT XLPE Unarmoured AL Cable size 3.5x50
101	LT PVC Unarmoured Cable size 2Cx4 Sq. mm
102	LT Unarmoured XLPE Cable size 2x6 sq. Mm
103	33 KV Vacuum Circuit Breaker 1250 Amp.
104	Battery Charger 24 Volt
105	Battery Set 24 Volt

Centralized Material

S.No.	ITEM NAME AND SPECIFICATION
106	11 KV Fuse Set
107	33 KV Control Panel for Single Transformer
108	33 KV Control Panel for double Transformer
109	33 KV Control Panel for Single Feeder
110	33 KV Control Panel for Double Feeder
111	11 KV Bus Coupler
112	LT XLPE 1x630 Sq. mm
113	11 KV GI Stay Set
114	3 Phase distribution box
115	Single Phase Meter box
116	33 KV PT (Outdoor) (33 KV/110V)
117	DCP Aluminium Winding Strip (7.0X4.0mm)
118	DCP Aluminium Winding Strip (10.X04.0MM)
119	Super Enamel Alu.Winding Wire (21.0 swg)
120	Super Enamel Alu.Winding Wire (19.0 swg)
121	Super Enamel Alu.Winding Wire (17.0 swg)
122	Super Enamel Alu.Winding Wire (16.0 swg)
123	11 KV Cable Jointing Kit (3X35 sq. Mm):-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through

Decentralised Material

Sr. No.	Items
1	Stone Pad 300x300x75 mm
2	Cross Arm holding Clamps with bolts & nuts
3	11 kV Pin with nut
4	F-bracket of fitting top insulator with bolts & nuts
5	Aluminium binding wire (5 mm dia)
6	Aluminium jointing sleeve for ACSR Rabbit
7	Danger Plate with clamps & Bolts
8	Barbed wire GI
9	Clamps with nuts & bolts for top channel
10	E Bracket with bolts & nuts
11	11 kV Disc fitting
12	PG clamps
13	Stay set 16x1800
14	Stay set 20x1800
15	LT clamp with nuts & bolts of PCC Pole with neutral
16	Earth wire clamps for PCC Pole
17	LT Shackel insulator 100x115 mm
18	Bolts & Nuts for Shackel
19	LT Shackel strip with bolt & nut for LT section pole
20	Loop guard complete 3-phase
21	Loop guard complete 1-phase
22	Neutral cum earth wire Gi Wire 7.16 mm or 6 SWG
23	Aluminium binding wire 6 mm
24	Aluminium jointing sleeve for AAAC conductor Weasel/Rabbit
25	Aluminium jointing sleeve for ACSR conductor Weasel/Rabbit

Decentralised Material

Sr. No.	Items
26	Spacer LT PVC
27	Clamps for LT T-off with bolts & nuts
28	Holding clamps for top channel TPMO & fuse set etc. with bolts & nuts
30	LT Incoming Panel with metering equipment & fixing arrangement (LS)
31	LT PVC Cable 4x16 sq mm
32	LT PVC Cable 3.5x70/35 sq mm
33	LT PVC Cable 3.5x150/70 sq mm
34	11 kV 'V' type Cross arm 100x50x6 mm
35	F-bracket for 33 KV line
36	33 KV Pin with nuts
37	Earth wire clamps with bolts & nuts
38	Armour rod with ferules
39	Aluminium Paint
40	Red oxide paint
41	Aluminium binding wire 6 SWG
42	11 KV Disc insulator B&S type 7000 kg
43	Danger Board with clamp for 33 KV
44	Disc Fittings Dog/Racoon 7000 kg
45	11 kV cable jointing kit outdoor 120 sq. mm
46	24 Volt battery and battery charger with cabinet
47	X-Arm for 33 kV
48	Al. PG clamps Weasel to Weasel
49	Al. PG clamps Dog to Dog

पत्र संख्या : 150/रेस्पो/क्वालिटी सेल

दिनांक: 23 जून, 2022

विषय:-परिवर्तकों की वर्तमान क्षतिग्रस्तता कम करने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर, स्वयं के स्तर से Preventive maintenance कराकर, परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

पू०वि०वि०नि०लि० वाराणसी।

म०वि०वि०नि०लि० लखनऊ।

द०वि०वि०नि०लि० आगरा।

प०वि०वि०नि०लि० मेरठ।

केस्को कानपुर।

अति महत्वपूर्ण
What's app/e_mail द्वारा प्रेषित

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ के पत्र सं० 1122/रेस्पो/क्वालिटी सेल दि० 18.04.2022 एवं पत्र सं० 1127/रेस्पो/क्वालिटी सेल दि० 19.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा अनुरक्षण कार्यों में वांछित रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण परिवर्तक लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अतः तत्काल एक कार्य योजना बनाकर अभियान चलाकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. परिवर्तक स्थापना के समय परिवर्तक के LT Bushing, Radiator अथवा Tank से कोई Oil Leakage न हो। इसके लिये आवश्यकतानुसार मौके पर ही Nut-Bolt टाईट कराकर अथवा M-Seal के माध्यम से तेल रिसाव को रोका जाये अथवा कार्यशाला के माध्यम से परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से पूर्व ही Replace करवा दिया जाये।
2. परिवर्तक की Neutral एवं Body Earthing Proper हों, अर्थात् Earthing Rod/Pipe तथा Neutral एवं Transformer's Body पर Earthing Wire/Plate उचित तरीके से Nut-Bolt एवं Washer के माध्यम से ही टाईट हो। इसके लिये Nut-Bolt एवं Washer आदि का इंतजाम क्षेत्रीय स्तर पर करके परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाये।
3. परिवर्तक की LT Rod पर उचित साईज की LT Bus, उचित साईज के Washer एवं Bolt द्वारा टाईट हो, जिस पर Crimping Lug के माध्यम से LT Cable जुड़ी होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक Crimping Lug, Crimping Plier, L-Piece for LT Bus & Washer आदि का इंतजाम क्षेत्रीय स्तर पर करके परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाये।
4. यह सुनिश्चित किया जाये कि परिवर्तक से जुड़ी LT Cable ज्यादा लम्बी नहीं होनी चाहिये एवं एक के ऊपर एक रखी हुई नहीं होनी चाहिये।
5. परिवर्तक की HT Rod पर 11KV Dropper Wire, Joint less एवं Fuse Set के माध्यम से जुड़ा होना चाहिये। जिसके लिये Scrap AB Cables की Leads का प्रयोग करना उचित होगा।

6. आवश्यकता हो तो, परिवर्तक की LT Circuits की उचित Load Balancing कराई जाये।
7. परिवर्तक के आस-पास अथवा परिवर्तक के नीचे किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा-करकट, ज्वलनशील वस्तु, पदार्थ अथवा पेड़-पौधे नहीं होने चाहिये।
8. सभी Lugs, Stainless Steel के Nut-Bolt & Washer के द्वारा ही टाईट किये जायें।
9. जहां Water Level गर्मियों में काफी नीचे चला जाता हो अथवा पथरीला क्षेत्र हो वहां पर Bore-Earthing के स्थान पर Chemical Earthing करायी जाये।

परिवर्तकों के उचित रखरखाव एवं क्षतिग्रस्तता से बचाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर संलग्न Format पर कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाये। यदि कहीं किसी स्तर पर कोई शिथिलता परिलक्षित होती है तो तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता में हुई कमी का विश्लेषण कर, सप्ताहवार आख्या कार्पोरेशन को प्रेषित की जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



(एम० देवराज)

अध्यक्ष

	11. Al. Crimping Lugs of different size. 12. Crimping Plier. 13. PCC Pole. 14. 11KV V-type X-aem. 15. 11KV Pin Insulators. 16. 11KV Disc Insulators 17. Clamps for poles.					
5	उपरोक्त कार्य हेतु श्रम-शक्ति हेतु अनुरक्षण कार्य के लिये अनुबन्धित कार्यदायी संस्था के साथ-साथ सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र पर कार्यरत संविदा कर्मियों में से कुछ कुशल संविदा कर्मियों का प्रयोग किया जाना चाहिये।	कर्मचारियों एवं कार्यदायी संस्था का प्रबन्ध कर लिया जाये।				
6	समय पर कार्य सम्पन्न करने हेतु, अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही आवश्यक कार्य जैसे:- 1. आवश्यकतानुसार 11KV Dropper की Leads पर एक तरफ Crimping Plier के माध्यम से Al. Lug, Crimp करके रखना। 2. आवश्यकतानुसार LT Leads के लिये 100, 240, 400, 1000 sq. mm. आदि की Single Core Cables के एक सिरे पर पहले से ही Crimping Plier के माध्यम से उचित Crimping Lug लगाकर रखना।	सभी केबिल एवं तारों को आवश्यकतानुसार तैयार किया जाये।			अनुरक्षण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एकत्र किये जाने के बाद एक सप्ताह	
7	आवश्यकतानुसार शहरी एवं कस्बे के क्षेत्र टूटे हुये अथवा आत्माधिक लम्बे स्पैन में पहले से ही चिन्हित स्थानों पर खम्बा लगाने के लिये पोल पहुंचाकर रखना।	आवश्यकतानुसार यदि विन्हित स्थानों पर खम्बा आवश्यक है तो पहले से ही ड्रिल द्वारा पोल लगवाने हेतु मशीन की व्यवस्था की जाये।				
8	विद्युत आपूर्ती को समय पर सामान्य करने एवं लक्षित कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से लाईन एवं परिवर्तक के कार्य समानान्तर रूप से कराये जायेंगे तथा लगातार 4-घण्टे से अधिक कार्य नहीं कराया जायेगा।					
9	एक ही स्थान पर 11KV एवं LT Line के अव्यवस्थित/ खतरनाक तरीके से लगे होने पर सुरक्षा की दृष्टि से अलग-अलग कर व्यवस्थित करना।					
10	विद्युत सुरक्षा हेतु Electricity Rule-1956 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।					

उपरोक्त कार्यों के उचित सम्पादन हेतु उदाहरणार्थ निम्न प्रारूप पर कार्य एवं सामग्री का आकलन एवं प्रबन्ध किया जा सकता है:-

S.No.	Name of Work	Name of Sub Div. & Div.	Name of 33/11KV S/S	Place	Pole No./Transformer no./DP no.	Details of Required Material	Remarks
1	Replacement of Lug			Ram Nagar	Transformer No.... DP No.....		
2	Replacement of 11KV Dropper Wire				Transformer No.... DP No.....		
3	Replacement of LT Cable				Transformer No.... DP No.....		
4	Loose AB Cable				In between pole no 10-11		
5	Distribution Box Replacement				Pole no. 11, 18, 21, etc.		
6							

उपरोक्त कार्यों के उपरान्त, उपरोक्त लाईन एवं परिवर्तकों को स्वस्थ रखने एवं उनकी पूरी क्षमता के अनुरूप प्रयोग करने हेतु निम्नवत् Preventive Maintenance Schedule के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिये। जिसमें Preventive Maintenance का कार्य प्रत्येक माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच, प्रतिदिन अधिकतम 4 घण्टे तक

किया जाना चाहिये। यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण/आवश्यक कार्य हो तो उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4 घण्टे से भी अधिक समय तक अनुरक्षण का कार्य किया जा सकता है। अनुरक्षण कार्य हेतु एक समानान्तर कार्य योजना (जिसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक कार्य साथ-साथ कराये जा सकें) खण्डीय अभियन्ता द्वारा अपने उपखण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ मिलकर बनाई जायेगी, जिसका आवश्यकतानुसार प्रचार विद्युत बन्दी के उद्देश्य से किया जायेगा।

क्र०स	माह	कार्य का विवरण	अवधि
1	प्रति माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का अनुरक्षण	प्रतिदिन अधिकतम 4 घण्टे इस योजना के साथ कार्य कराया जाये कि यदि 33 के०वी० लाईन पर कार्य कराया जा रहा है तो समानान्तर रूप से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र पर भी अनुरक्षण कार्य करा लिया जाये। इसी क्रम में 11 के०वी० लाईन, एल०टी० लाईन एवं वितरण परिवर्तकों पर भी समानान्तर रूप से कार्य कराया जाना चाहिये। जिससे कि कम समय में अधिकतम कार्य हो जायेगा।
2		33/11 के०वी० Power Transformer का अनुरक्षण	
3		33 एवं 11 के०वी० VCB का अनुरक्षण कार्य	
4		33 के०वी० लाईनों का अनुरक्षण	
5		11 के०वी० लाईनों का अनुरक्षण	
6		सभी जम्परों एवं ढीली लाईनों को सही करना।	
7		एल०टी० लाईनों का अनुरक्षण कार्य	
8		सभी जम्परों एवं ढीली लाईनों को सही करना।	
9		AB Cables के Joints को सही करना, ढीली AB Cables को सही करना।	
10		यदि किसी खम्बे पर अव्यवस्थित रूप से झुण्ड में उपभोक्ताओं की केबिल लगी हुई हों तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से Distribution Box के माध्यम से लगाना। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त Distribution Box लगाना अथवा बदलना।	
11		वितरण परिवर्तकों का अनुरक्षण कार्य	
12		परिवर्तक को उर्जित करने के लिये आवश्यक 11KV Dropper wire, 11KV Fuse के माध्यम से परिवर्तक पर जोड़ा गया हो। परिवर्तक की 11KV Bushing पर 11KV Fuse न लगाया जाये।	
13		परिवर्तक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने हेतु परिवर्तक पर जुड़े LT Networks की क्षमता का आकलन कर, Load Balancing करना। आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अतिभारित LT Circuit की केबिल/तार क्षमतानुसार बदलना।	
14		परिवर्तक से LT Circuit को जोड़ने वाली केबिल की जांच करना, यदि आवश्यकता हो तो क्षमतानुसार बदलना।	
15		यह सुनिश्चित करना कि परिवर्तक से निकलने वाली केबिल के दोनों ओर के जोड़ (LT Circuit & LT Rod of Transformer) उचित तरीके से जुड़े हों तथा कमजोर जोड़ के कारण केबिल अथवा LT Rod गर्म न हो रही हो।	
16		Transformer की LT Rod पर केबिल जोड़ने के लिये उचित LT Bus-Bar उचित Nut-Bolt & Washer के साथ उपलब्ध हो तथा केबिल के सिरे पर उचित साईज का Crimping Lug, Crimping Plier के माध्यम से जुड़ा हो।	
17		परिवर्तक से कोई तेल का रिसाव हो तो उसकी मरम्मत कराना अथवा परिवर्तक बदलवाना।	
18		परिवर्तक में तेल की जांच कर आवश्यकतानुसार पूर्ण करना।	
19		परिवर्तक का Neutral एवं Body उचित तरीके से Earth किया गया हो।	
20		विद्युत सुरक्षा हेतु Electricity Rule-1956 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।	

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

एम० देवराज,

आई.ए.एस.

अध्यक्ष



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-01
☎ : 0522- 2287827

सं०- 1984-डी०एस०एम०/पावर कॉन्क्लेव/2022

दिनांक 14 दिसम्बर, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ
केस्को-कानपुर

विषय:- प्रदेश के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक माह की निर्धारित तिथिवार कार्य योजना (पावर कैलेण्डर) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2022 को एस०एल०डी०सी० परिसर में आयोजित पावर कॉन्क्लेव में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने एवं वितरण प्रणाली के मुख्य उपकरणों के लिये वार्षिक शिड्यूल के अनुसार प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अ) 1. प्रत्येक माह की निर्धारित तिथिवार कार्य योजना (पावर कैलेण्डर)	
तिथि	निर्धारित कार्य का विवरण
प्रत्येक माह की 02 तारीख	उपकेन्द्र का सघन निरीक्षण, पावर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, ऑयल, सिलिका-जैल, एच०टी० साइड केबिल ज्वाइंटिंग-किट की चेकिंग, समस्त वी०सी०बी०/आ०सी०बी० की चेकिंग, रीडिंग, प्रोटेक्शन चेकिंग, स्पेस हीटर एवं साउण्ड आदि की चेकिंग। ब्रेकडाउन रिपोर्ट, ऊर्जा खपत रजिस्टर बनवाना, रजिस्टर में इन्ट्री करना एवं चेकिंग फार्मेट भिजवाना।
प्रत्येक माह की 03 तारीख	समस्त 33 केवी लाइन एवं केबिल एक्सपोजर्स, 11 केवी लाइन एवं केबिल एक्सपोजर्स की चेकिंग एवं कमियों को नोट करना एवं तदनुसार कार्यवाही कराना।
प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर (माह के प्रथम रविवार में)	समस्त 33 केवी लाइन एवं 11 केवी लाइन के सम्पर्क में आने वाले पेड़ों की डालियों का शट डाउन लेकर कटिंग कराना।
प्रत्येक माह की 4,5 एवं 6 तारीख (अवर अभियन्ता स्तर पर)	समस्त 1000/630/400/250 के०वी०ए० परिवर्तकों के लोड चेक कराना, बैलेन्स करना, आयल लीकेज चेक कराना, ऑयल टॉप-अप कराना, अर्थिंग चेक कराना, डी०एल०एम०एस० मीटर ठीक कराना, सिलिका-जैल/ब्रीदर चेक कराना, फेन्सिंग चेक करना, ठीक करना तथा झाड़-झंखाड़ की सफाई करना फोटो लेना तथा कम्प्यूटर में फीड करना।
प्रत्येक माह की 7,8 एवं 9 तारीख (उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा)	परीक्षण खण्ड/मीटर से सहायक अभियन्ता के साथ उपकेन्द्र की टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, 33 केवी फीडर ब्रेकर की टेस्टिंग एवं रजिस्टर में इन्ट्री करना एवं फाल्ट को ठीक कराना।

1. प्रतिमाह कार्य जो किये जाने है -

क्रम सं०	कार्यों का विवरण	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व
1.1	<p>प्रतिमाह नियत तिथि</p> <ul style="list-style-type: none"> • ट्री क्लियरेन्स (पेड़ों की डाली की छटाई) • क्षतिग्रस्त इन्सुलेटर को बदलना। • पिन बाइंडिंग को पुनः चेक कर टाइट करना। • समस्त केबिलों को अर्थिंग स्ट्रिप के कसाव को चेक करना एवं बदलना। • लूज जम्परों को टाइट करना/पी०जी० क्लैम्प के माध्यम से बदलना। • ढीले स्पैन / स्टे टाइट करना। • 33 केवी ब्रेकर/बस आइसोलेटर की ग्रीसिंग/ब्लेड तथा कॉन्टैक्ट ओवरहॉलिंग एवं अनुरक्षण की कार्यवाही करना। 	लाइन-स्टाफ	अवर अभियन्ता
1.2	<p>11 केवी लाइन एवं एल०टी० लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्पेसर लगाना। • क्रमांक 1.1 की तरह समस्त कार्य। 	लाइन-स्टाफ (प्रतिमाह)	अवर अभियन्ता
1.3	<p>11 केवी स्विच-गियर</p> <ul style="list-style-type: none"> • कॉन्टैक्ट चेकिंग। • बस-बार एवं नट-बोल्ट्स टाइट करना। • केबिल टर्मिनेशन किट को चेक करना। 	उपकेन्द्र परिचालक (एसएसओ) (पन्द्रह दिनों) में चेकिंग की जायेगी।	अवर अभियन्ता
2.1	<p>पावर ट्रान्सफार्मर का अनुरक्षण (33/11 या 33/6.6 क०वी०)</p> <ul style="list-style-type: none"> • सिलिका-जैल। • ब्रेकर प्रतिमाह (यथा-ट्रिप-सर्किट एवं समस्त प्रोटेक्शन प्रणाली की कार्यशीलता की स्थिति। • बुकोल्ज सर्किट (प्रतिदिन)। • तेल लेबिल (प्रतिदिन)। • आयल टेस्टिंग-प्रतिवर्ष। • डीसी सप्लाय एवं बैटरी के पानी की स्थिति की जाँच (प्रतिदिन)। 	एस०एस०ओ० प्रतिमाह चेक करेंगे तथा रजिस्ट्रों में नोट करेंगे।	अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी



2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33 एवं 11 केवी लाइनों का निरीक्षण स्वयं करेंगे, जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का निरीक्षण किया जाएगा -

- (i) विद्युत तंत्र पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक विद्युत कर्मियों के पास समस्त विद्युत सुरक्षा उपकरण यथा सेफटी बेल्ट, अर्थिंग चैन, हैण्ड-ग्लव्स, हेलमेट इत्यादि की उपलब्धता एवं मजबूती चेक कर, इनका उचित प्रयोग सुनिश्चित कराना।
- (ii) लाइन में विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी सुनिश्चित कराना।
- (iii) विद्युत लाइन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति (जर्जर तार होने पर तुरन्त प्रतिस्थापित किया जाना।)
- (iv) विद्युत लाइन में खम्भे टेढ़े अथवा जंगयुक्त (केवल स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) हो तो उसे ठीक कराया जाये।
- (v) रोड क्रॉसिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रॉसिंग पर गार्डिंग की स्थिति मानक अनुरूप सही कराना।
- (vi) भविष्य में रोड के अनुरक्षण पर भी लाइन कन्डक्टर की रोड से मानकानुसार सुरक्षित दूरी रहेगी अथवा नहीं, सुनिश्चित कराना।
- (vii) लाइन क्रॉसिंग पर दोनों लाइनों के मध्य क्लियरन्स, लाइन क्रॉसिंग पर गार्डिंग है कि नहीं सुनिश्चित कराना।
- (viii) लाइन के समस्त एंगिल पोलों एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत चेक कराना/टाइट कराना।
- (ix) सभी 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की ट्रिपिंग समुचित रूप से सुनिश्चित कराना।
- (x) उच्च विभव की केबिलों के इन्सुलेशन रेजिस्टैन्स चेक करना - त्रैमासिक अनुरक्षण।
- (xi) ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज एवं अंतिम छोर पर वोल्टेज चेक करना- त्रैमासिक अनुरक्षण।
- (xii) अर्थ रेजिस्टैन्स नापना एवं चेक करना- वार्षिक अरुक्षण।
- (xiii) Protection Relay टेस्टिंग प्रत्येक 06 माह पर किया जाये जिसमें यह रिकार्ड किया जाये कि Relay आपरेट होने में मानक अनुरूप समय लग रहा है।
- (xiv) ग्रेडिंग ऑफ टाइम सेटिंग की जाँच किया जाये कि नियमानुसार व मानक के अनुसार है या नहीं।
- (xv) 33 के0वी0 ब्रेकर ओपनिंग टाइम की चेकिंग।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत कर्मियों हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने सम्बन्धित निर्गत आदेशों का अनुपालन-

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 1468/पीसीएल/रेस्पो/द्वि0प्र0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों पर संचालन हेतु विशेष दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-1)।
2. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 106/सीएमयूडी/विद्युत आपूर्ति/2019 दिनांक 10.01.2019 द्वारा निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने हेतु निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-2)।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 1667/रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल दिनांक 27.05.2019 द्वारा आदर्श बिजलीघर के मानक सम्बन्धित समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-3)।



(ब) फील्ड में होने वाले विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा सावधानी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने/नियंत्रित करने सम्बन्धित निर्गत आदेशों का अनुपालन।

1. उप्रपाकालि के पत्रांक 3738/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2018 दिनांक 22.09.2018 द्वारा विभागीय एवं बाह्य एजेन्सी द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों पर सरुक्षित काम करने के लिये विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा सावधानियों सम्बन्धित निदेशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-4)।
2. उप्रपाकालि के पत्रांक 1790/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2019 दिनांक 15.07.2019 द्वारा किसी भी प्रकार के घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33 के0वी0, 11 के0वी0 एचटी लाइनों एवं 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-5)।
3. उप्रपाकालि के पत्रांक 67/पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 18.07.2019 द्वारा विद्युत तंत्र से घातक/अघातक दुर्घटना घटने सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक-6)।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(एम० देवराज)
अध्यक्ष



पत्र संख्या : 2408/रेस्पो/क्वालिटी सेल/57-23

दिनांक: 15 जून, 2023

विषय- Power Transformer के Maintenance हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,


पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
केस्को, कानपुर।

अतिमहत्वपूर्ण
ई-मेल/whatsapp द्वारा
प्रेषित

महोदय,

उपरोक्त विषयक 33/11KV S/S & Power Transformer के Maintenance हेतु निम्नवत् चित्रानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की जाती है:-

Single Line Diagram of 33/11KV S/S



उपरोक्त चित्रानुसार प्रत्येक 33/11KV विद्युत उपकेन्द्र एवं उपकेन्द्र में स्थापित पॉवर परिवर्तकों के उचित रखरखाव हेतु प्रति वर्ष मार्च एवं नवम्बर में निम्नवत् निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा:-

1. Name of Distribution Zone:
2. Name of Distribution Circle:
3. Name of 33/11KV S/S:
4. Capacity of 33/11KV S/S:
5. Date of Inspection:
6. Date of Last inspection:

क्र.सं.	कार्य	वांछित कार्यवाही	कार्य की आवश्यकता (हां या नहीं)	कृत कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	Ensure that 33KV supply is in off position in 33/11KV S/S's switchyard.	33/11KV S/S & Power Transformer के Maintenance का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र पर शट डाउन लेकर विद्युत आपूर्ति बन्द हो। Switchyard में प्रवेश करते ही सबसे पहले 33 KV Line Isolator एवं Control Room में स्थापित 11KV VCB's को बन्द (Switch off) किया जाना चाहिये।			
2	Sub Station Supply should be through independent S/S Transformer	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि Sub Station की विद्युत आपूर्ति, Sub Station के लिये स्थापित परिवर्तक से ही हो।			
3	General Condition of Control Room	साफ सफाई एवं टूट-फूट से सम्बन्धित जांच कर Control Room में आवश्यक सुधार एवं साफ-सफाई रखी जानी चाहिये।			
4	Fire Extinguisher	Control Room में रखे Fire Extinguisher की जांच समय-समय पर अवश्य की जानी चाहिये। Fire Extinguisher की Expiry Date के अनुसार उसको समय पर Refill कराया जाना चाहिये।			
5	Sand in Cable Trench & Fire Buckets with Sands	Control Room में VCB के bottom तक Sand इस प्रकार से भरा होना चाहिये कि कोई चूहा आदि VCB के अन्दर घुसकर Fault न कर पाये। Fire Buckets में उचित मात्रा में Sand उपलब्ध होना चाहिये।			
6	General Condition of Switch Yard.	साफ सफाई एवं टूट-फूट से सम्बन्धित जांच करना। अर्थिंग चेक करना व सही करना। Switch Yard के अन्दर ज्वलनशील पदार्थ एवं घास आदि नहीं होनी चाहिये।			
7	Hot Spot on Joints	Switch Yard के अन्दर लाईन एवं उपकरणों पर किसी भी स्थिति में कोई भी Hot Spot नहीं होना चाहिये।			
8	Condition of 33KV main incoming line upto gantry.	अस्वस्थ अथवा ढीली, खराब इन्सुलेटर, टेढ़े-मेढ़े क्रॉस आर्म द्वारा बनी लाइन होने पर, उक्त लाइन को सही करना।			
9	Condition of 33KV Lightning Arrester on 33KV connected on main incoming line	33KV Lightning Arrester का न होना अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको लगाने अथवा बदलने की कार्यवाही करना।			
10	Earthing of LA & LA's Structure	LA & LA's Structure की Earthing उचित प्रकार से होनी चाहिये।			
11	Condition of 33KV Line Isolator.	33KV Line Isolator की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			

12	Condition of Jaws & Blade of Line Isolator.	33KV Line Isolator के Jaws & Blade की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
13	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on Jaws of Line Isolator.	33KV Line Isolator पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
14	Condition of 33KV Incomer VCB.	33KV Outdoor VCB की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
15	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Incomer VCB.	33KV Outdoor VCB पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
16	Condition of 33KV Fuse set. (If Provided)	33KV Fuse Set की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
17	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Fuse Set	33KV Fuse Set पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
18	Fuse Wire	33KV Fuse Set में उचित क्षमता के Fuse Wire लगे होने की जांच करना। यदि उचित क्षमता का Fuse Wire न लगे हो तो उचित क्षमता का ही Fuse Wire प्रयोग किया जाना चाहिये।			
19	Condition of 33KV Bus.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus स्वस्थ अवस्था में होनी चाहिए। यदि Bus Wire अथवा उस पर लगे PG Clamp में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
Power Transformer No.1					
21	Condition of 33KV Dropper wire for 33KV Bus Isolator.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus से 33KV Line/Bus Isolator जोड़ने के लिए प्रयुक्त 33KV Dropper wire अथवा उनके जोड़ में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
22	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Bus.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus से 33KV Line/Bus Isolator जोड़ने के लिए प्रयुक्त 33KV Dropper wire अथवा उनके जोड़ में लगे PG Clamp में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
23	Condition of Jaws & Blade of Bus Isolator No.1	33KV Bus Isolator के Jaws & Blade की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही करना।			
24	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on Jaws of Bus Isolator No.1	33KV Bus Isolator पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
25	Condition of 33KV Post Insulators for Power TF No.1	33KV Post Insulators की क्षतिग्रस्त होने की जांच करना, क्षतिग्रस्त होने पर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
26	Condition of 33KV Outdoor VCB for for Power TF No.1	33KV Outdoor VCB की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही करना।			

27	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Incomer VCB for Power TF No.1	33KV Outdoor VCB पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही करना।			
28	Condition of 33KV Fuse set for Power TF No.1 (If Available)	33KV Fuse Set की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
29	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Fuse Set for Power TF No.1	33KV Fuse Set पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
30	Fuse Wire for Power TF No.1	33KV Fuse Set में उचित क्षमता के Fuse Wire लगे होने की जांच करना।			
31	Condition of 33KV Lightning Arrester before 33/11 KV Power TF No.1	33KV Lightning Arrester का न होना अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको लगाने अथवा बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
32	Earthing of LA & LA's Structure	LA & LA's Structure की Earthing उचित प्रकार से होनी चाहिये।			
33	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on the HT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि Power Transformer की HT Bushing rod पर 33KV Line उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुड़ी हो।			
34	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on the LT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि Power Transformer की LT Bushing rod पर 11KV Cable उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुड़ी हो।			
35	Condition of Neutral Earthing joint on LT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि Power Transformer के Neutral पर Earthing Strip उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुड़ी हो।			
36	Earth Resistivity of Neutral Earthing	Neutral Earthing की Earth Resistivity, 1.0 Ohm से कम होनी चाहिये।			
37	Condition of Neutral Earthing of Power TF No.1	Power Transformer की Neutral Earthing, Pipe अथवा Chemical Earthing के माध्यम से ही की जानी चाहिए। Pipe Earthing में समय समय पर पानी गरा जाना चाहिये। पानी डालते समय यह सावधानी रखी जानी चाहिये कि पानी डालते समय पॉवर परिवर्तक उर्जाकृत न हो।			
38	Oil Level in Conservator Tank of Power TF No.1	Conservator Tank में Oil Level 1/2 से कम नहीं होना चाहिए।			
39	Condition of Bucholtz Relay of Power TF No.1	Bucholtz Relay कार्यशील अवस्था में रखने हेतु उसमें तेल का होना अनिवार्य है। जिसके लिए Bucholtz Relay के दोनों ओर के Valve खुले होने चाहिए।			
40	Condition of Upper diaphragm of Explosion vent of Power TF No.1	Upper diaphragm of Explosion vent क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए अर्थात् सही होना चाहिये।			
41	Arching Horn of Power TF No.1	Power Transformer की HT & LT Bushing पर Arching Horn उचित Gap के साथ लगे होने चाहिए।			

(Handwritten signature)

42	Availability of oil in HT & LT Bushing of Transformer in Power TF No.1	Power Transformer की HT & LT Bushing Rod में ऊपर लगे Screw को खोलने पर तेल अवश्य ही निकलना चाहिये।			
43	Tap Changer of Power TF No.1	Tap Changer कार्यशील होना चाहिए। यदि On load Tap Changer नहीं है तो On load अर्थात् उर्जित अवस्था में Tap Changer का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। Tap Change करने की कार्यवाही Logbook में दर्ज होनी चाहिये।			
44	Normal Tap Position of Power TF No.1	यदि विशेष आवश्यकता न हो तो Power Transformer का Tap Changer, Normal Tap Position में होना चाहिये।			
45	Current Tap Position of Power TF No.1	Current Tap Position की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।			
46	Leakage of oil from packing of Power TF No.1	Power Transformer की Oil Packing से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए। तेल का रिसाव होने पर Gasket/Cork Sheet बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये। Transformer के Foundation पर गिरे हुये तेल को साफ कर दिया जाना चाहिये।			
47	Leakage of oil from Radiator of Power TF No.1	Power Transformer के Radiator से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए।			
48	Oil valves of Radiators are open.	Power Transformer के Radiator के सभी valves खुले होने चाहिए।			
49	Earthing of Transformer's body.	Power Transformer की Body, Properly Earth एवं Neutral Earthing से पूर्णतः अलग होनी चाहिये।			
Incoming No.1					
50	Incoming No.1 11KV VCB	Incoming-1 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
51	11KV PT-1 Installed on VCB.	Incoming-1 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
52	Condition of CT Connected on I/C VCB No.1	Incoming-1 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
53	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-1 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
54	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात् बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
55	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए। 11 केवी0 पोषक श्रोत पर की गयी ट्रिपिंग टाइम सेटिंग के घटते क्रम में उपकेन्द्र पर स्थापित सभी इनकमर एवं आउटगोइंग पोषकों की ट्रिपिंग टाइम सेटिंग की जानी चाहिये।			
56	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			

57	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
58	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
59	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
60	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
61	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
62	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए। जिससे कि Relay के माध्यम से VCB उचित Time Setting के अनुसार Trip हो जाये।			
63	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
64	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
65	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
66	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV O/G VCB-2 पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
67	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV O/G VCB-2 पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
68	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
69	Protection Relays are connected and working	11KV O/G VCB-2 पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
70	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
71	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			

72	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
73	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
74	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
75	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
76	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
77	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
Incoming No.2					
78	Incoming-2 11KV VCB/OCB.	Incoming-2 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
79	11KV PT-2 Installed on VCB.	Incoming-2 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
80	Condition of CT Connected on I/C VCB No.2	Incoming-2 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
81	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-2 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
82	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
83	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
84	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
85	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
86	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			

AS

87	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
88	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
89	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
90	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
91	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
92	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
93	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
94	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
95	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
96	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
97	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
98	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
99	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
100	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
101	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			

102	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
103	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
104	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
105	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
Incoming No.3					
106	Incoming-3 11KV VCB/OCB.	Incoming-3 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
107	11KV PT-3 Installed on VCB.	Incoming-3 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
108	Condition of CT Connected on I/C VCB No.3	Incoming-3 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
109	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-3 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
110	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
111	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
112	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
113	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
114	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
115	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
116	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
117	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			

118	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
119	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
120	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
121	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
122	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
123	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
124	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
125	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
126	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
127	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
128	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
129	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
130	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
131	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
132	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			

133	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
134	Control Panel for 33KV VCB & Transformer.	Control Panel स्वस्थ एवं कार्यशील होना चाहिए।			
135	Condition of Battery & Battery Charger.	Battery & Battery Charger स्वस्थ एवं कार्यशील होना चाहिए।			
136	Outdoor 33KV VCB is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Switchyard में स्थापित Outdoor 33KV VCB, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होनी चाहिये।			
137	Oil Temp Meter is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Power Transformer पर स्थापित Oil Temp Meter, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होना चाहिये।			
138	Winding Temp. Meter is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Power Transformer पर स्थापित Winding Temp Meter, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होना चाहिये।			
139	Testing of Power Transformer	Power Transformer की गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद वर्ष में एक बार तेल की BDV एवं Magnetising Current Test अवश्य ही कर लेना चाहिये।			
140	Magnetising Current Test	Magnetising Current तारों Phase पर एक समान रूप से Zero Miliampere के आस पास होनी चाहिये। Magnetising Current मापन के लिये उचित मीटर का ही प्रयोग किया जाना चाहिये।			
141	BDV of Transformer Oil at 2 levels (Top & Bottom of the transformer)	Power Transformer के Top एवं Bottom Side के तेल की अलग-अलग Sample लेकर BDV की जानी चाहिये।			
142	Silica Gel	Power Transformer के Silica Gel Breather में Silica Gel नीले रंग का तथा Oil Cup में पर्याप्त स्तर तक तेल भरा होना चाहिए।			
143	Fire Wall	अग्नि से सुरक्षा हेतु आस-पास स्थापित 2 पावर परिवर्तकों के मध्य Fire wall अनिवार्य रूप से बनी होनी चाहिए।			
144	Control Panel for 33 KV VCB & Transformer.	Control Panel पर सभी Indication, Annunciation & Flags स्वस्थ एवं कार्यशील होने चाहिए।			

उपरोक्तानुसार विद्युत उपकेन्द्र का निरीक्षण करने के उपरान्त कार्य की आवश्यकता का आकलन कर, तदनुसार तत्काल अथवा निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की देखरेख में कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समीक्षा क्षेत्र के अधीक्षण एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

भवदीय,


(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



संख्या 21 /रेसपो/क्वालिटी सेल

दिनांक : 04-01-2024

विषय : पावर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारण।

प्रबन्ध निदेशक,

विद्युत वितरण निगम लि०,
पूर्वांचल-वाराणसी / मध्यांचल-लखनऊ
दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ
केस्को-कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रुपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, परीक्षण उपकरण, प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह-अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए हैं परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह-फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
3. चूंकि पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-
 - i. पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, विद्युत तंत्र का सुदृढीकरण, सी०टी०, पी०टी०, ब्रेकर एवं रिले की क्रियाशीलता तथा पावर परिवर्तकों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य माह फरवरी' 2024 तक करा लिये जाये। जहाँ पर पावर परिवर्तक की डिलिवरी फरवरी' 2024 के बाद सम्भावित है, वहाँ पर समस्त शेष कार्य पहले से पूर्ण कर लिये जाए।
 - ii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य पावर परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यों का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
 - iii. विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, पावर परिवर्तक का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
 - iv. उपकेन्द्र पर प्रोटेक्शन हेतु लगे Relays का Synchronization इस प्रकार किया जाए कि ट्रिपिंग की आवृत्ति (Frequency) तथा समय न्यूनतम हो साथ ही इसका विद्युत तंत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
 - v. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) समस्त उपकेन्द्रों के प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच करते हुए इनको क्रियाशील अवस्था में रखना तथा न्यूनतम ट्रिपिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

- vi. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा भी शत-प्रतिशत उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण किया जाए।
- vii. अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा भी 20-20 पृथक उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाए।
4. डिस्काम अपने स्तर से भी पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वि०/परि०) को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्युत अवस्थापना है जिस पर एक बड़ी धनराशि का निवेश शासन द्वारा किया जाता है। विगत में देखा गया है कि अधिकांश पावर परिवर्तक समुचित अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन सिस्टम के सही से कार्यरत न होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि समुचित अनुरक्षण किया जाये तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये तो पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ-साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित कराये।
6. चूंकि वर्ष 2023 में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वृहद दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी वितरण क्षेत्र में अधिक संख्या में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक- निरीक्षण चेक लिस्ट।

 4/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
6. निदेशक (ईटीआई), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस निर्देश के साथ कि उपकेन्द्रों के अनुरक्षण, विशेष रूप से पावर परिवर्तक के अनुरक्षण से सम्बन्धित बुकलेट बनाकर तत्काल समस्त को प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।



संख्या 30 /रेसपो/क्वालिटी सेल

दिनांक : 05/01/2024

विषय : वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

विद्युत वितरण निगम लि०,
पूर्वांचल-वाराणसी / मध्यांचल-लखनऊ
दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ
केरको-कानपुर।


1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रुपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि तथा इनके प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह-अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए हैं परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह-फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
3. चूंकि वितरण परिवर्तक क्षेत्र में गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-
 - i. अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा पोषकवार 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण, माह जनवरी' 2024 में किया जाए तथा अनुरक्षण हेतु कार्य चिन्हित कर लिये जाए तथा साथ ही साथ अनुरक्षण की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाये।
 - ii. अवर अभियन्ता (वितरण)/उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों में निर्धारित मात्रा में तेल होने एवं लोड बैलेंसिंग की जाँच करते हुए अर्थिंग एवं एच०टी०/एल०टी० प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए।
 - iii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
 - iv. 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, वितरण परिवर्तकों का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
 - v. 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के सभी वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण तथा प्रोटेक्शन का कार्य माह-फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिए जाए।
4. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ता (मीटर) एवं अवर अभियन्ता (मीटर) रैण्डम आधार पर समस्त 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों पर एच०टी०/एल०टी० प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता की जाँच करते हुए अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को अवगत करायेगें। अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) इस कार्य की स्वयं समीक्षा करेंगे।

5. उपखण्ड अधिकारी से मुख्य अभियन्ता (वितरण) तक, 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये जाए तथा इन अधिकारियों द्वारा माह जनवरी 2024 व फरवरी 2024 में इन वितरण परिवर्तकों का पर्याप्त संख्या में निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये। उपखण्ड अधिकारी/अधिकासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के निरीक्षण के लक्ष्य मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित किये जाये तथा मुख्य अभियन्ता (वितरण) के लक्ष्य प्रबन्ध निदेशक निर्धारित करेंगे।
6. 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक डिस्कॉम द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवर अभियन्ता द्वारा शतप्रतिशत तथा उपखण्ड अधिकारी/अधिकासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण किया जाये।
7. विगत में पाया गया है कि अधिकांश वितरण परिवर्तक अतिभारिता एवं ससमय अनुरक्षण न कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। अतिभारिता को समाप्त करने हेतु समय-समय पर परिवर्तकों के भार का मापन एवं लोड बैलेंसिंग की कार्यवाही की जाये तथा परिवर्तक पर भार 60 से 70 प्रतिशत होते ही क्षमतावृद्धि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इसके अतिरिक्त एल0टी0 लाइन के कारण क्षतिग्रस्तता रोकने हेतु प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये। ससमय इन कार्यों को पूर्ण करने से वितरण परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ-साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकासी अभियन्ता (वितरण) का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित कराये।
8. चूंकि वर्ष 2023 में वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता का वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

वितरण परिवर्तक की क्षमता	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासनिक उत्तरदायित्व
100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिकासी अभियन्ता
400 के0वी0ए0 से 1000 के0वी0ए0	उपखण्ड अधिकारी	अधिकासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

चूंकि समस्त संसाधन पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त समय है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुरक्षण/प्रोटेक्शन कार्य समय पर न हो सके। अतः वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक :- चेक लिस्ट।

 5/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
6. समस्त अधिकासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1300-कार्य/चौदह- पाकालि/2024-03-के/2000

दिनांक 10 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन की सहयोगी वितरण निगमों में वितरण खण्डों/उपखण्डों/मण्डलों व जोन स्तर पर तैनात अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित भण्डार क्रय/कार्य समितियों को सामग्री क्रय एवं कार्य के निष्पादन हेतु एतद्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नानुसार किया जाता है:-

समस्त क्रय/कार्यों को निम्न तीन भागों में विभक्त किया जाता है:-

- पूँजीगत कार्य
- डिपॉजिट कार्य
- अन्य मद के क्रय/कार्य

1. पूँजीगत कार्य:-

- ऐसे कार्य जिनमें बिजनेस प्लान, अतिरिक्त बिजनेस प्लान एवं अन्य कार्य हेतु धनराशि बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त होती है तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त निश्चित परियोजनाओं हेतु धनराशि वितरण निगमों को उपलब्ध कराई जाती है। विद्युत वितरण निगम के निदेशक मण्डल के सम्मुख, प्रत्येक कार्य का औचित्य एवं प्राक्कलन, निदेशक तकनीकी एवं प्रबन्ध निदेशक की संस्तुतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन माना जाएगा तथा प्रबन्ध निदेशक उक्त के क्रम में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- पूँजीगत कार्यों हेतु बजट प्राक्कानों के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति (Technical Sanction) के निम्न अधिकार प्रदान किये जाते हैं:-

क्रम सं०	अधिकृत अधिकारी	अधिकार की सीमा (प्रत्येक कार्य सामग्री तथा अन्य component शामिल करते हुए)
1	अधिशारी अभियन्ता, वितरण	10 लाख तक
2	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	10 लाख से 25 लाख तक
3	मुख्य अभियन्ता, वितरण	25 लाख से अधिक

- किसी भी स्थिति में निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन से पृथक कार्य बिना प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से नहीं कराए जाएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में अथवा परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रबन्ध निदेशक इस हेतु अधिकृत होंगे कि पूँजीगत कार्य हेतु अनुमोदन प्रदान कर सकें (ऐसे समस्त कार्यों हेतु स्वीकृत बजट के 5% की सीमा अथवा रु. दस करोड़ प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की सीमा के अधीन)। यह अधिकार इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस प्रकार के कार्यों का कार्यान्वयन अनुमोदन निदेशक मण्डल की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

- पूँजीगत मद के समस्त कार्यों का टेण्डर अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर होगा जिसका अनुमोदन सक्षम कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा कि अनुमोदित कार्यों हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाए।

- (v) अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समितियां सक्षम होंगी एवं यदि अनुमोदित बजट की सीमा तक कार्य किया जा रहा है तो पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर प्रेषित नहीं किया जाएगा।
- (vi) यदि निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी कार्य के scope में सूक्ष्म परिवर्तन (minor change) की आवश्यकता होती है तो उक्त के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता होंगे। उक्त प्रदत्त अनुमोदन को संकलित कर मासिक रूप से प्रबन्ध निदेशक का कार्यत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एवं उक्त की सूचना प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक में रखी जायेगी।
- (vii) वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर अनुमोदन अधिकतम 03 दिवसों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- (viii) कार्यों को वित्तीय सीमा में लाने हेतु विभाजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसा पाया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। बल्कि यह प्रयास होना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता व economy of scale लाने के लिए छोटे-छोटे कार्यों को समेकित कर बड़े आकार का पैकेज बनाया जाये।
- (ix) पूंजीगत मद में कराए जाने वाले कार्यों का निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त होते ही कार्यों का खण्डवार कार्यवार विवरण बनाकर खण्ड की वित्तीय सीमा निर्धारित करते हुए समस्त को सूचित किया जाएगा एवं प्रत्येक प्रोजेक्ट को ERP पर upload किया जाएगा।

2. डिपॉजिट कार्य:-

- (i) डिपॉजिट कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्य की प्राक्कलन स्वीकृति के निम्न अधिकार प्रदान किये जाते हैं (निम्न सीमाएं यदि कार्य विभाग द्वारा अथवा सुपरविजन चार्ज के आधार पर कराया जा रहा हो, दोनों पर प्रभावी होंगी):-

क्रम सं०	अधिकृत अधिकारी	अधिकार की सीमा (प्रत्येक कार्य हेतु सामग्री तथा अन्य component शामिल करते हुए)
1	अधिशाषी अभियन्ता, वितरण	10 करोड़ तक
2	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	10 करोड़ से 25 करोड़ तक
3	मुख्य अभियन्ता, वितरण	25 करोड़ से अधिक

- (ii) डिपॉजिट कार्यों में प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति (Technical Feasibility Approval) अपने स्तर से एक उच्च स्तर के अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही यथावश्यकता पारिषण से भी feasibility आख्या प्राप्त की जायेगी।
- (iii) प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति का स्तर प्राक्कलन स्वीकृति के लिए अधिकृत स्तर से एक स्तर ऊपर का होगा। सक्षम स्तर के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 03 दिन में अनिवार्यतः निर्णय लेना होगा। वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर अनुमोदन अधिकतम 03 दिवसों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- (iv) डिपॉजिट मद के समस्त कार्यों का टेण्डर अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर होगा, जिसका अनुमोदन सक्षम कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा कि अनुमोदित कार्यों हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाए।

3. अन्य मद के क्रय/कार्य :-

- (i) अन्य मद में क्रय/कार्य (यथा Admin/O&M, M&R, T&P, Stationery, Vehicle, Uniform, Contingency आदि) करने हेतु अधिकार (उपरोक्त प्रस्तर 1 व 2 में उल्लिखित पूंजीगत एवं डिपॉजिट कार्यों के अतिरिक्त) निम्नवत् होंगे:-

क्र०सं०	अधिकृत अधिकारी का पद	अधिकार की सीमा व क्रय प्रक्रिया
1	2	3
(क)	उपखण्ड अधिकारी, वितरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक प्रकरण में ₹0 2,500 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 10,000 होगी। ₹0 2,500 से रु 50,000 तक के क्रय/कार्य कोटेशन के माध्यम से। समस्त प्रकार के क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 50 हजार होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(ख)	अधिशासी अभियन्ता, वितरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक प्रकरण में ₹0 5,000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 50 हजार होगी। ₹ 5,000 से रु 02 लाख तक के क्रय/कार्य कोटेशन के माध्यम से। समस्त प्रकार से क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 05 लाख होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(ग)	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक प्रकरण में ₹0 5000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 50,000 होगी। ₹0 5,000 से ₹0 10 लाख तक के क्रय/कार्य खुली निविदा द्वारा क्रय/कार्य समिति के अनुमोदन से। समस्त प्रकार से क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रु0 25 लाख होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(घ)	मुख्य अभियन्ता, वितरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक प्रकरण में ₹0 5000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 50,000 होगी।

		<ul style="list-style-type: none"> • ₹0 10 लाख से अधिक के क्रय/कार्य खुली निविदा द्वारा क्रय/कार्य समिति के अनुमोदन से। • ₹0 10 लाख से ₹0 50 लाख तक के क्रय/कार्य हेतु निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य) (जिससे भी सम्बन्धित हो) से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। • 50 लाख से अधिक मूल्य की निविदा का अनुमोदन डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त किया जाएगा। • समस्त कार्य बजट की सीमा के अधीन कराये जायेंगे।
--	--	---

- (ii) मुख्य अभियन्ता, वितरण एवं अधीक्षण अभियन्ता, वितरण बजट के नियन्त्रण हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में बिना प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के प्राविधानित बजट से अधिक का व्यय न किया जाये। प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त होते ही निदेशक (वित्त) यह सुनिश्चित करेंगे कि बजट में आवश्यक संशोधन ई.आर.पी. पर कर दिया जाये।
- (iii) बजट नियन्त्रण हेतु ई.आर.पी. का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ निम्न विवरण अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाएगा:-
- (क) वित्तीय वर्ष में क्रय की जा चुकी सामग्री/कार्य की धनराशि
- (ख) वित्तीय वर्ष में pipeline (अर्थात् जिनका Lol/work order दिया जा चुका है या स्वीकृति प्रक्रिया में है या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है या प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है) में सामग्री/कार्य हेतु आवश्यक धनराशि
- (ग) प्रस्तावित क्रय की धनराशि
- (घ) बजट प्राविधान एवं अवशेष सीमा।
- (iv) उपभोक्ता की सुविधा से सम्बन्धित ऐसी सामग्री जिसे आकस्मिकता में क्रय किया जाना आवश्यक हो, जैसे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करने हेतु आर्मर्ड केबिल, मीटर बॉक्स, CT/PT/Metering Cubicle इत्यादि, उसके ई.आर.पी./स्टोर में उक्त की उपलब्धता न होने पर क्रय करने हेतु अधिशाही अभियन्ता को 05 लाख प्रति माह के क्रय हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त क्रय बजट की सीमा के अधीन होगा, अन्यथा प्रबन्ध निदेशक से बजट का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उक्त क्रय सीमा उपरोक्त प्रस्तर 3(i) के अतिरिक्त होगी। इस हेतु आवश्यक रूप से अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करना होगा एवं ई.आर.पी. के माध्यम से स्टोर में उक्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, यह भी प्रमाणित करना होगा। साथ ही क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता तथा मूल्य पूर्व में उक्त हेतु क्रय की गई सामग्री के मूल्य के समतुल्य (Justifiable) अथवा बेहतर होना चाहिए।
- (v) (क) प्रस्तर 3(i) में सन्दर्भित कोटेशन की समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल पर की जायेगी। उक्त हेतु निम्न व्यवस्था है:-
- “Seller having lowest price amongst the available sellers, of at least three different manufacturers, on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period.”
- (ख) जेम पर सामग्री/सेवा की अनुपलब्धता अथवा वांछित विशिष्टियों/गुणवत्ता की सामग्री की अनुपलब्धता पर ही अन्य माध्यम का प्रयोग किया जाएगा।
- (ग) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते समय इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि क्रय किस विधि से किया जा रहा है। यदि जेम से क्रय नहीं किया जा रहा है तो उसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

- (घ) सीधे किये जा रहे क्रय का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सीधे क्रय में किसी भी प्रकार की malpractices न हों, जैसे बड़े टेण्डर को विभक्त कर वित्तीय सीमा में लाना, आवर्ती व्यय (recurring expenditure) सम्बन्धी मामलों में प्रत्येक बार सीधे क्रय किया जाना, जबकि ऐसे मामलों में टेण्डर के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिए।
- (vi) खुली निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से सामग्री/सेवा का क्रय जेम-पोर्टल से तथा जेम-पोर्टल पर सामग्री/सेवा की अनुपलब्धता अथवा वांछित विशेषताओं/गुणवत्ता की सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा।
- (vii) उपरिलिखित (प्रस्तर 3(i) में प्रतिनिधानित) अधिकार निम्न पर लागू नहीं होंगे:-
- (i) वाहन क्रय करने हेतु।
- (ii) किराये पर भवन आबद्ध करने हेतु।
- (iii) कम्प्यूटर उपकरणों यथा लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिन्टर, साफ्टवेयर, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि के क्रय हेतु।
- (iv) एयर कण्डीशनर, फ्रिज, हीटर, फर्नीचर तथा इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों के क्रय हेतु।
- (viii) लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन, प्रिन्टर, साफ्टवेयर इत्यादि उपकरणों के क्रय हेतु उल्लिखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। मुख्य अभियन्ता का दायित्व होगा कि प्रस्तुत प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्ण औचित्य से संतुष्ट होते हुए सामग्री हेतु अनुमति प्रदान की जाये एवं साथ ही पूर्व में प्रयोग हो रही सामग्री के विधिवत् निस्तारण हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। साफ्टवेयर के क्रय में विशेष सावधानी बरती जाये जिससे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त portal/app से compatibility issues न आये तथा यथासंभव Open Source साफ्टवेयर प्रयोग किया जाये (Cyber Security का पूर्ण ध्यान रखते हुए)।
- (ix) अनुमोदित वाहनों की संख्या के सापेक्ष किराये पर वाहन रखने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त वाहन को अनुबन्धित करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- (x) ऐसे समस्त कार्य जो कि नियमित/आवर्ती (Recurring) प्रकार के हैं, जैसे कि किराये पर वाहन की उपलब्धता, जनशक्ति सेवा, कंटेनिंग इत्यादि इन हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक अवधि हेतु प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आबद्धीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर लेनी चाहिए, जिससे कि ऐसे प्रयोजनों हेतु आकस्मिक रूप से क्रय की आवश्यकता न पड़े।
- (xi) यथा आवश्यकता प्रशासकीय व्यय को ऑप्टिमाइज (optimize) करने हेतु यदि किसी भी स्तर पर कम्पोजिट टेण्डर (Composite Tender) निकाला जा रहा है (एक से अधिक डिवीजन अथवा सर्किल को सम्मिलित कर) तो इस हेतु उक्त कार्य के लिए आवंटित बजट को संकलित कर लिया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में बजट की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। स्वीकृति देते समय इसका स्पष्ट उल्लेख होगा कि कुल धनराशि का विभाजन (apportionment) किन किन खण्डों के बजट पर किया जा रहा है।

4. भण्डार क्रय/कार्य समिति के वित्तीय अधिकार निम्नवत् होंगे:-

I. कार्य एवं दायित्व:-

- (i) निविदा प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा के द्वितीय भाग (फाइनेंशियल बिड) को खोलने के उपरान्त निविदा आख्या एवं संस्तुति सक्षम क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) भण्डार क्रय/कार्य समिति कार्यों का औचित्य, प्राक्कलन तथा दरों का परीक्षण कर निर्णय लेगी।

II. वित्तीय अधिकार:-

(i) वितरण निगम की कॉरपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति:

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार	संशोधित प्रतिनिधायन
1. प्रबन्ध निदेशक -अध्यक्ष	1. प्रबन्ध निदेशक -अध्यक्ष
2. निदेशक (तकनीकी) -सदस्य	2. निदेशक (तकनीकी) -सदस्य
3. निदेशक (वित्त) -सदस्य	3. निदेशक (वित्त) -सदस्य
4. मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्रय/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो) -सदस्य	4. निदेशक (वाणिज्य) -सदस्य
	5. निदेशक (का0 एवं प्रब0) -सदस्य
	6. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता -सदस्य
वित्तीय अधिकार : रूपये 01 करोड़ से 25 करोड़ तक।	वित्तीय अधिकार : रूपये 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक।

(क) कोरम- समिति का कोरम चार सदस्यों का होगा, जिसमें प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) का बैठक में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(ख) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात वित्त विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे। यह व्यवस्था निदेशक (वित्त) के अवकाश पर रहने पर प्रभावी नहीं होगी एवं यदि निदेशक (वित्त) के द्वारा कोई दीर्घ अवधि अवकाश लिया जाता है तो भण्डार क्रय/कार्य समिति में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से अधिकारी नामित किया जाएगा।

(ग) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठतम मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(ii) मुख्य अभियन्ता, वितरण भण्डार क्रय/कार्य समिति :-

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार	संशोधित प्रतिनिधायन
1. मुख्य अभियन्ता -अध्यक्ष	1. मुख्य अभियन्ता- -अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता -सदस्य	2. मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता -सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी -सदस्य	(यदि यह अधिकारी एवं क्रमांक 3 पर अंकित अधिकारी एक ही व्यक्ति है, तो मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत अगला वरिष्ठतम अधिकारी)
वित्तीय अधिकार : • सामग्री क्रय के सम्बन्ध में 15 लाख। • कार्य के सम्बन्ध में 01 करोड़ तक।	3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता -सदस्य
	4. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी -सदस्य
	वित्तीय अधिकार : ₹ 10 लाख से ₹ 25 करोड़ तक।

(iii) अधीक्षण अभियन्ता, वितरण भण्डार क्रय/कार्य समिति:

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार	संशोधित प्रतिनिधायन
1. अधीक्षण अभियन्ता —अध्यक्ष	1. अधीक्षण अभियन्ता —अध्यक्ष
2. अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता —सदस्य	2. अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता —सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी —सदस्य	(यदि यह अधिकारी एवं क्रमांक 3 पर अंकित अधिकारी एक ही व्यक्ति है, तो मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत अगला वरिष्ठतम अधिकारी)
वित्तीय अधिकार : ₹0 02 लाख तक।	3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता —सदस्य
	4. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी —सदस्य
	वित्तीय अधिकार : ₹0 10 लाख तक।

III. समितियों के गठन में जहां लेखा स्कन्ध के कार्मिकों का प्रविधान किया गया है वहां उस स्तर के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपयुक्त संख्या में नामांकन हेतु उपलब्ध न होने की दशा में उनके स्थान पर निम्न स्तर का कार्मिक (न्यूनतम स्तर सहायक लेखाधिकारी) प्रबन्ध निदेशक के स्तर से नामित किया जाएगा।

IV. ऐसे समस्त उपकरण जिनका क्रय किसी एक विद्युत वितरण निगम के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के लिए किया जाएगा, ऐसे प्रकरणों हेतु टेण्डर पर निर्णय हेतु सक्षम समिति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की कारपोरेट क्रय/कार्य समिति होगी। (इस पर उपरोक्त वित्तीय सीमाएं लागू नहीं होंगी अर्थात् यदि टेण्डर की धनराशि रु. 25 करोड़ से कम है तो भी प्रकरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की कारपोरेट क्रय/कार्य समिति में प्रस्तुत किया जाएगा)

5. उपरोक्त प्रदत्त समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किए जाते हैं-

- (i) समस्त कार्य स्वीकृत बजट प्राविधानों की सीमा के अन्तर्गत ही कराये जायेंगे। प्रबन्ध निदेशक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही खण्डवार कितनी धनराशि O&M (Admin), M&R, प्रशासनिक कार्यों इत्यादि में क्रय/कार्यों हेतु औसतन उपलब्ध हो सकेगी, इसकी सीमा प्रत्येक खण्ड को सूचित करा देंगे।
- (ii) पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता (वितरण) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी स्थिति में किसी भी खण्ड में आवंटित बजट की सीमा से अधिक व्यय बिना प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के न किया जाए। यदि किसी भी आकस्मिकता के कारण, बजट की सीमा से अधिक व्यय करना आवश्यक है तो इस हेतु प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- (iii) समस्त कार्य (डिपॉजिट वर्क/पूँजीगत/अन्य कार्य) को ई.आर.पी. के माध्यम से ही कराया जाएगा। यदि कोई कार्य ई.आर.पी. के बाहर कराया जाता है तो इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ई.आर.पी. के बाहर कराये गये कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रबन्ध निदेशक आकस्मिक परिस्थितियों स्वरूप ई.आर.पी. के बाहर कार्य करने हेतु अपवाद रूप से अनुमोदन प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे परन्तु अनुमोदन में स्पष्ट रूप से

औचित्य अंकित करना होगा तथा ऐसे कार्यों हेतु भुगतान, उक्त कार्य का अंकन ई.आर.पी. में कराते हुए, ई.आर.पी. के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) उक्त सभी वित्तीय अधिकारों की राशि समस्त करों को सम्मिलित करते हुए मानी जायेगी।

6. उपर्युक्त समस्त अधिकार वितरण खण्डों/उपखण्डों/मण्डलों व जौन स्तर पर तैनात अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित भण्डार क्रय/कार्य समितियों को प्रदान किये गये हैं तथा भण्डार/कार्य-शाला/कार्य-निर्माण/परीक्षण/जानपद (वितरण) इकाईयों में तैनात अभियन्ताओं के अधिकार पूर्व की मॉति यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

संख्या-1300 (1)/कार्य/चीदह/पाकालि/2024-3-के/2000 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मंध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य/सी.पी./आई.टी.), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), पूर्वांचल/मंध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण पूर्वांचल/मंध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल/मंध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, पूर्वांचल/मंध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सदानुम्ब)
संयुक्त सचिव
(ज०शा०प्रशि० एवं कार्य)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता
नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण)
उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०

चतुर्थ तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
कार्यालय दूरभाष : 0522-2218414, फैक्स : 0522-2218417
ई-मेल : cmuduppcl@gmail.com
(CIN NO. : U32201UP19995GCO24928)

पत्रांक: 719(A)/मु०आ०/सी०एम०यू०(डी०)/ईई-1/विद्युत आपूर्ति

दिनांक: 27 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा व्यवधान रहित बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से 11 के०वी० एवं 33 के०वी० पोषकों के शटडाउन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है।


- 33 के०वी० के समस्त फीडर्स तथा 11 के०वी० स्वतंत्र एवं औद्योगिक फीडर्स के शटडाउन अधिशासी अभियन्ता (वितरण) की अनुमति से दिया जायेगा। शेष 11 के०वी० के फीडर्स का शटडाउन उपखण्ड अधिकारी (वितरण) की अनुमति से दिया जायेगा।
- आग लगने, विद्युत दुर्घटना तथा अन्य समकक्ष विषम तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में आपूर्ति यथावश्यकता अविलम्ब बन्द की जायेगी। सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा ऐसे आपातकालीन शटडाउन की सूचना अधिशासी अभियन्ता (वितरण) तथा उपखण्ड अधिकारी (वितरण) को दी जायेगी।
- सभी औद्योगिक फीडर्स का निर्धारित शटडाउन यथा संभव क्षेत्र की औद्योगिक बन्दी के दिन अथवा सम्बन्धित औद्योगिक संगठन की सहमति वाले दिन ही लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अपने नियंत्रणाधीन वितरण के सभी अधिकारियों तथा अवर अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि :-

- अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/
लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)।


(प्रद्युम्न त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता (सी०एम०यू०(डी०))